

## फार्म

अचल सम्पत्ति विवरणिका वर्ष 2013

31.12.13 तक की स्थिति

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 1990- Nil

- 1- अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम : Shri Pramod Kumar Ahuja s/o Late Shri M R Ahuja
2. वर्तमान धारित पद : Executive Engineer
3. वर्तमान पता : Plot No. 11 & 12 Om Nagar, Behind Halalpur Bus Stand, Laighati, Bhopal
- 4- कार्यालय का नाम : Office of Addl CE (Procurement), M.P.P.T.C.L., Jabalpur
- 5- वर्तमान वेतन : Rs 51810/- Basic + Rs 7600 Grade Pay, 5- भविष्य निधि क्र. :- 25585308 6- कर्मचारी संख्या : 91320720

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मण्डल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीदा, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा।	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
Bhopal		Plot No. KH 2, Ayodhya Nagar, Bhopal	Rs. 54 Lacs approximately	Self	Purchased from MP Housing Board on 19th Nov 2001. (Cost Rs. 4. 57 Lacs). Financed by Bank of Baroda.	Nil	Permission from Addl Secretary, MPSEB vide his letter No. 01-05 / III / 2714 dt 28/11/02
Bhopal	House on plot No. 11 & 12 Om Nagar, Behind Halalpur Bus Stand, Laighati, Bhopal		Rs. 120 Lacs approximately	Self	Plots purchased from Shri Mahesh Madhav & Smt Mangla Madhav, 59, Tolwali Masjid, Budhwara Bhopal on 18th Jan 2007 & 3rd March 2007. (Cost of plots Rs. 14. 92 Lacs). Financed by State Bank of India. Construction of house on plots by own. (Cost of construction 23.0 Lacs) Financed by State Bank of India.	Nil	Permission from Joint Secretary, MPPTCL, vide his letter No. AS/MPPTCL/Property/XI/N-216/1940 dt 16/11/07

हस्ताक्षर

नाम : प्रमोद कुमार आहुजा

पद : कार्यपालन अभियंता

कार्या: अति मुख्य अभियंता ( कय ) वृत्त, एम. पी. पी. टी. सी. एल. जबलपुर

'जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

"ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

"इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मण्डल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1985 के नियम 19 (1) के अधीन प्रथम श्रेणी ए दितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह